

श्री छेदी पासवान (सासाराम) ः देश के समग्र एवं संतुलित विकास हेतु पूर्वांचल राज्य के गठन के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। भारत संघ के लिए नए राज्य के गठन की जरूरत का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है। संप्रति भारत संघ में 29 राज्य एवं 7 संघ क्षेत्र हैं। भारतवर्ष दुनिया की बड़ी आबादी वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी कम होते हुए भी वहां राज्यों की संख्या 50 है। देश का समग्र एवं संतुलित विकास के लिए सत्ता का विचेंद्रीकरण एक आवश्यकता होती है।

देश के अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विशेषता होती है जिसके परिप्रेक्ष्य में वहां की अपनी शासन व्यवस्था के माध्यम से त्वरित एवं निकट से शासन के सुन्दर प्रयास के माध्यम से उन क्षेत्रों को उन्नत बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की भोजपुरी भाषा-भाषी जिलों यथा बिहार राज्य के कैमूर, रोहतास, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, छपरा, जिला क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के चंदौली, देवरिया, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही, वाराणसी, बलिया तथा सोनभद्र जिला क्षेत्रों को मिलाकर आज पूर्वांचल राज्य का गठन अनिवार्य है जिसकी राजधानी वैश्विक सांस्कृतिक स्थल वाराणसी में हो। पूर्वांचल राज्य की विर-प्रतीक्षित मांग अब शीघ्र ही पूरी होने की उम्मीद है तथा पूर्वांचल क्षेत्र के नागरिकों ने इस उम्मीद के साथ पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है।

अतः मेरा विशेष आग्रह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भोजपुरी भाषा-भाषी जिलों को मिलाकर पूर्वांचल राज्य का गठन शीघ्र करने हेतु सदन के माध्यम से सकरात्मक कार्रवाई की जाए।